न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर
नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 35 / 2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 भरत कुमार पुत्र धर्माराम जाति मेगवाल निवासी माहेश्वरी भवन के पीछे बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।		1 हेमीदेवी पत्नी भरत कुमार जाति मेगवाल निवासी माहेश्वरी भवन के पीछे बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर 2 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :– 1 श्री भगवानसिंह राठौड़, वकील प्रार्थी।
2 श्री गणपत गुप्ता, वकील अप्रार्थी संख्या 02।

आदेश

दिनांक 23-02-21

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बाडमेर शहर पटवार हल्का बाडमेर शहर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 3329 / 1673 रकबा 05.03 बीघा धर्माराम पुत्र हिमताराम जाति मगवाल की खातेदारी में दर्ज था। उक्त भूमि में से धर्माराम पुत्र हिमताराम ने प्रार्थी को 03 बीघा भूमि जरिये भेंट पत्र दी गई, जिसका खसरा संख्या 3963 / 1673 है। विप्रार्थी संख्या 01 को उक्त खेत में सजनी पत्नी किशनलाल ने 02.15 बीघा भूमि बेचान की गई, जिसका खसरा संख्या 3329 / 1673 है। प्रार्थी का खसरा संख्या 3963 / 1673 की मौक पर तरमीम कर दी गई लेकिन जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त था उस पर तरमीम नही करते हुए प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में गलत तरमीम कर दी गई, इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि की भी मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार तरमीम न कते हुए मौके से भिन्न स्थान पर तरमीम कर दी गई। प्रार्थी संलग्न परिशिष्ठ 'अ' में दर्शाये गये बरंग लाल से दर्शित भूमि अनुसार तरमीम करवाना चाहता है, जिस पर प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त है इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि जो परिशिष्ठ 'अ' में बरंग हरा दर्शित है उस अनुसार तरमीम करवाना चाहता है। हल्का पटवारी ने अपनी मनमर्जी से तरमीम कर दी गई परन्तु मौके पर तथा लठ्ठा ट्रेस में की गई तरमीम में भारी अन्तर है। लठ्ठा ट्रेस में की गई तरमीम अनुसार खतौनी में तरमीम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2022.02.22 16:11:03 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर [illegible] किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित। [illegible] 01 जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि अभिलेख में अंकित प्रार्थी की भूमि [illegible]र मौके पर प्रार्थी का [illegible] काश्त नही है तथा अप्रार्थी की भूमि पर मौके पर अप्रार्थी का काब्जा काश्त नही है। मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरूस्त की जाती है तो उसे कोई आपति नही है।

तहसीलदार बाडमेर से मौके व रेकर्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बाडमेर द्वारा पत्रांक भू.अ. / 2020 / 986 दिनांक 19.03.2021 द्वारा

उपखण्ड अधिकारी

...त्मक प्रतिवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा बाडमेर शहर पटवार क्षेत्र बाड़मेर शहर तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 3963/1673 रकबा 03.00 बीघा की जांच करने पर पाया गया कि उक्त भूमि भरत कुमार के नाम खातेदारी में दर्ज है, जिसकी तरमीम लठ्ठा ट्रेस में संलग्न नक्शा अनुसार की हुई है। उक्त तरमीम भरत कुमार द्वारा क्रय की गई भूमि के पंजीयन दस्तावेज अनुसार की गई है, लेकिन मौके पर भरतकुमार का आवासीय मकान व कब्जा काश्त उक्त तरमीम के अनुसार न होकर संलग्न नक्शा में बरंग लाल रंग से दर्शाय अनुसार है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों तथा तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार मौजा बाडमेर शहर पटवार क्षेत्र बाडमेर शहर तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 3963/1673 रकबा 03.00 में लठ्ठा ट्रेस की तरमीम मौके पर कब्जा काश्त से भिन्न है। उभय पक्ष मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार तरमीम दुरूस्त कराने पर सहमत है, जिससे अभिलेख की स्थिति मौके के अनुसार सही हो जायेगी।

अतः तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत जाचं प्रतिवेदन तथा उभय पक्षों की सहमति के मद्देनजर प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा बाडमेर शहर पटवार क्षेत्र बाडमेर शहर तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 3963/1673 रकबा 03.00 बीघा की तरमीम तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के संलग्न नक्शा के अनुसार दुरूस्त की जाती है। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत नक्शा आदेश का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार राजस्व अभिलेख में शुद्ध करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 23-02-21 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2022.02.22 16:11:03 IST
Reason: SelfAttested